



कार्यालय मुख्य अभियन्ता(जल-विद्युत)
उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०
तृतीय तल, शक्ति भवन विस्तार
14-अशोक मार्ग, लखनऊ।

दूरभाष : 0552-2288656

फैक्स : 0522-2288655

संख्या-259-अनु०-प्रथम/प्रथम-वे०/2018

दिनांक : फरवरी 27, 2018

कार्यालय ज्ञाप

परिषदादेश सं० 965 पी/राविप-तीस-4पी/86, दिनांक 19.06.1989 सपठित परिषद आदेश संख्या: 1598/राविप, दिनांक: 21.08.1989 के साथ पठित परिषदाज्ञा सं०-83-काविनि/राविपा/पाकालि, दिनांक: 24.02.2000 एवं संख्या: 55-काविनि एवं वे०प्र०-29/पाकालि/17-13 काविनि एवं वे०प्र०/09, दिनांक: 12.01.2017 के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं मापदण्डों के अधीन विचारण के उपरान्त अधोनामित अवर अभियन्ता (सामान्य श्रेणी-विद्युत एवं यांत्रिक) को निम्नतम पदीय स्थिति में प्रारम्भिक नियुक्ति पद पर पदभार ग्रहण करने की तिथि से बिना किसी सेवा व्यवधान के 9 वर्षीय सेवा पूर्ण होने पर प्रथम स्तरोन्नयन वेतनमान के रूप में अवर अभियन्ता यथा अनुमन्य वेतनमान जो 01.04.1979 से पहले देय नहीं, अवर अभियन्ता के नाम के सम्मुख अंकित तिथि से प्रदान की स्वीकृति दी जाती है अवर अभियन्ता के नाम के सामने अंकित तिथि से स्तरोन्नयन वेतनमान अनुमन्य होंगे:-

क्र० सं०	अवर अभियन्ता का नाम	वरि०क्र०	स्तरोन्नयन वेतनमान	स्वीकृति की तिथि
1	2	3	4	5
1	मुरलीधर	10186	प्रथम	29/12/2016

उपरोक्त अवर अभियन्ता (वि० एवं० या०) को प्रथम स्तरोन्नयन वेतनमान प्रदान करने सम्बन्धी आदेश निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ निर्गत किये जाते हैं:-

1. कि उनकी सेवा से निलम्बित रहने अथवा रहते/अभियोजन सम्बन्धी कार्यवाही से गस्त होने/ट्रैप में गिरफ्तार होने/उनके विरुद्ध किसी प्रकार की आर्थिक शास्ति/प्रत्याप्ति (रिकवरी) के लम्बित रहते/अप्राप्य आलेख्य वर्षों की उनकी गोपनीय चरित्र पंजी में अंकित अभ्युक्ति (यों) में अन्यथा उसके बदले दिये गये सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र प्रतिकूल होने पर प्रवरण श्रेणी एवं विशेष श्रेणी का यथा अनुमन्य वेतनमान प्रदान करने के सम्बन्ध में निर्गमित किये गये उपर्युक्त आदेशों को बिना किसी कारण बताये वापस से लिये जायेंगे।
2. उक्त अवर अभियन्ता की स्तम्भ (4) के नीचे अंकित तिथि से प्रथम स्तरोन्नयन वेतनमान यदि इन आदेशों के पद ही स्वीकृत हो चुका हो तो उसके सम्बन्ध में यह आदेश स्वतः निष्प्रभावी होंगे।

मुख्य अभियन्ता(हाइडिल)

सं०-259-अनु०-प्रथम/प्रथम-वे०/तददिनांक : फरवरी 27, 2018

1. प्रबन्ध निदेशक उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. निदेशक(क०प्र० एवं प्रशा०) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक पूर्वांचल/पश्चिमांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/केस्को।
4. मुख्य अभियन्ता(हाइडिल) के शिविर सहायक।
5. समस्त मुख्य अभियन्ता, उ०प्र० पाकालि, लखनऊ।

✓ 6. अधिशासी अभियन्ता(वेब) को उ0प्र0पाकालि0 की वेब साइट पर अपलोड करने हेतु।

7. कट फाइल।

✓
विरेन्द्र कुमार निगम
वैयक्तिक सहायक(पंचम)
कृते मुख्य अभियन्ता(हाइडिल)
1-2/1/1